Year-6 Volume: IV, October-December, 2024 Issue-24 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

9. कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और डॉ. अम्बेडकर: वर्तमान प्रासंगिकता

डॉ. मनोज कुमार गुप्ता
सहायक प्राध्यापक
डॉ. अम्बेडकर पीठ, ब्राउस

सारांश

भारतीय अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक रूप से कृषि पर आधारित रही है, लेकिन भूमि असमानता, कृषकों की बदहाल स्थिति और तकनीकी पिछड़ेपन ने इसे एक संकटग्रस्त क्षेत्र बना दिया है। डॉ. अम्बेडकर ने इस संकट को बहुत पहले ही पहचानते हुए कृषि सुधार, भूमि पुनर्वितरण, वैज्ञानिक खेती, और कृषक कल्याण जैसे विषयों पर ठोस और समावेशी सुझाव दिए थे। उन्होंने राज्य द्वारा भूमि के स्वामित्व, सहकारी खेती, यंत्रीकरण और कृषि को आर्थिक नियोजन का केंद्र बनाने की बात की, जिसे States and Minorities (1947) और Small Holdings in India and Their Remedies जैसे लेखों में विस्तार से प्रस्तुत किया गया है।

इस शोध में डॉ. अम्बेडकर की नीतियों का तुलनात्मक विश्लेषण समकालीन नीतियों जैसे PM-KISAN, PMFBY, FPOs, भूमि सुधार योजनाएँ, और डिजिटल कृषि मिशन से किया गया है। इस अध्ययन में यह देखने का प्रयास किया गया है कि कृषि को सम्मानजनक आजीविका बनाने, किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने, और भूमिहीनों के हितों की सुरक्षा में डॉ. अम्बेडकर के विचारों की क्या प्रासंगिकता है। तथा उनके सम्यक क्रियान्वयन और सामाजिक सहभागिता के अभाव में वांछित परिवर्तन सीमित ही हैं।

यह शोध पत्र भारतीय कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के दृष्टिकोण और उसकी वर्तमान प्रासंगिकता पर केंद्रित है। जिसमें डॉ. भीमराव अम्बेडकर की कृषि संबंधी आर्थिक दृष्टि, नीतियाँ और उनकी समकालीन उपयोगिता का विश्लेषण किया गया है। उनका दृष्टिकोण हमें कृषि को समावेशी, न्यायसंगत और सशक्त बनाने की दिशा में प्रेरित करता है।

शब्द कुंजी- अम्बेडकर, कृषि, अर्थव्यवस्था, भूमि, कृषक

प्रस्तावना

भारत एक प्राचीन कृषि संस्कृति वाला देश है, जहाँ कृषि न केवल आर्थिक क्रिया है, बल्कि सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक जीवन का भी अभिन्न अंग रही है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत तक, कृषि ने राष्ट्र के विकास और जन-जीवन को दिशा दी है। वर्तमान में भी, भारत की लगभग 60% जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है (Agricultural Census, Government of India,

Year-6 Volume: IV, October-December, 2024 Issue-24 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

2021)। इसके बावजूद, भारतीय कृषि आज भी अनेक संकटों से घिरी हुई है – जैसे भूमि का असमान वितरण, अत्यधिक जनसंख्या दबाव, किसान आत्महत्याएँ, जलवायु परिवर्तन, और बाजार की अस्थिरता।
इस परिप्रेक्ष्य में जब हम डॉ. भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि की ओर देखते हैं, तो स्पष्ट होता है कि उन्होंने केवल समाज सुधार और संविधान निर्माण तक ही अपना योगदान नहीं दिया, बल्कि आर्थिक और कृषि विकास की रूपरेखा पर भी गंभीर चिंतन किया था। डॉ. अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि "किसी भी राष्ट्र की वास्तविक समृद्धि तब तक संभव नहीं जब तक उसके कृषकों की स्थिति सशक्त और आत्मनिर्भर न हो।" (Ambedkar, States and Minorities, 1947)।

डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण बहुआयामी था। वे अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, और समाजशास्त्री होने के साथ-साथ, एक यथार्थवादी नीति-निर्माता भी थे। उन्होंने भारत की कृषि व्यवस्था की जड़ में निहित सामाजिक असमानताओं और आर्थिक शोषण को पहचाना और उनके समाधान के लिए दूरदर्शी योजनाएँ प्रस्तुत कीं। उनकी दृष्टि में कृषि सुधार केवल उत्पादन या आय बढ़ाने का साधन नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा उपकरण था, जिसके माध्यम से सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता को साकार किया जा सकता था।

डॉ. अम्बेडकर ने ब्रिटेन से डॉक्टरेट की पढ़ाई के दौरान The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution (1923) जैसी पुस्तक में भारतीय अर्थव्यवस्था के असंतुलन की जड़ें खोजी थीं। उन्होंने स्वीकार किया कि कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और भूमि के असमान स्वामित्व के कारण ग्रामीण भारत आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। उनका विचार था कि जब तक भूमिहीन किसान केवल मजदूर बने रहेंगे और भूमि का स्वामित्व मुट्ठीभर लोगों के पास रहेगा, तब तक देश की आर्थिक स्थिति स्थायी रूप से सुधर नहीं सकती।

डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि में कृषि सुधार का पहला चरण भूमि सुधार था। वे मानते थे कि भूमि का निजी स्वामित्व असमानता और शोषण को बढ़ाता है। उनके अनुसार भूमि का राष्ट्रीयकरण (Land Nationalization) ही एकमात्र रास्ता है जिससे प्रत्येक कृषक को उत्पादन के लिए समान अवसर मिल सकता है। उन्होंने 'States and Minorities' नामक अपने प्रसिद्ध दस्तावेज़ में राज्य समाजवाद (State Socialism) की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत उन्होंने सुझाव दिया कि भूमि, उद्योग और बीमा जैसे संसाधनों का स्वामित्व राज्य के पास होना चाहिए और वह उन्हें नागरिकों को उपयोग हेतु प्रदान करे।

भूमि सुधार के साथ-साथ डॉ. अम्बेडकर ने सामूहिक खेती (Collective Farming) का समर्थन किया। वे मानते थे कि छोटे और बंटे हुए भूखंडों में व्यक्तिगत खेती करने की बजाय, कृषकों को समूह बनाकर कृषि करनी चाहिए जिससे संसाधनों का बेहतर प्रयोग हो सके और उत्पादन की लागत कम हो। यह विचार आज भी किसान उत्पादक संगठन (FPOs), सहकारी समितियों और शेतकरी संघटन जैसे संगठनों में परिलक्षित होता है।

Year-6 Volume: IV, October-December, 2024 Issue-24 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

डॉ. अम्बेडकर का ध्यान केवल आर्थिक पक्ष तक सीमित नहीं था; वे कृषि के सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते थे। भारत में भूमि और जाति व्यवस्था का गहरा संबंध है। भूमिहीनता प्रायः अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों में अधिक पाई जाती है। डॉ. अम्बेडकर ने इस सामाजिक अन्याय को पहचानकर कृषि सुधार को सामाजिक न्याय से जोड़ा। वे कहते हैं, "Social justice cannot be achieved without economic justice, and in India, economic justice is incomplete without land reforms." (Rodrigues, The Essential Writings of B.R. Ambedkar, 2002)

राजनीतिक दृष्टि से भी डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि जब तक किसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक वह राजनीतिक रूप से सक्रिय भागीदारी नहीं कर सकता। आज भी भारतीय राजनीति में किसान एक बड़ा मतदाता समूह है, लेकिन अक्सर वह केवल चुनावों में उपयोग किया जाने वाला 'वोट बैंक' बनकर रह जाता है। अम्बेडकर का सपना था एक ऐसे कृषक समाज का जो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो और नीति-निर्धारण की प्रक्रिया में भागीदार बने।

डॉ. अम्बेडकर की जल नीति भी कृषि से सीधे जुड़ी हुई थी। उन्होंने भारत में सिंचाई और जल संसाधन प्रबंधन को कृषि सुधार का अनिवार्य अंग माना। केंद्रीय जल आयोग के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने दामोदर घाटी परियोजना, महानदी और गोदावरी जैसी नदियों की जल उपयोग योजना को विकसित किया। उन्होंने जल संकट की दूरदर्शिता को समझते हुए कहा था कि "Coming wars will not be fought for land or gold, but for water." (संदर्भ: Ministry of Jal Shakti, India)

वर्तमान समय में, जब भारत की कृषि व्यवस्था कई संकटों से जूझ रही है — जैसे जलवायु परिवर्तन, कृषि ऋण, न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनिश्चितता, और किसानों की आत्महत्या — तब डॉ. अम्बेडकर की दूरदर्शिता और उनकी नीतियाँ हमें समाधान की ओर प्रेरित करती हैं। उनका दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि कृषि केवल खेत और फसल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की रीढ़ है और इसके सुधार के बिना कोई भी आर्थिक या सामाजिक परिवर्तन अधूरा है।

इसलिए, भारतीय कृषि के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में डॉ. अम्बेडकर के विचारों की पुनः समीक्षा और उनकी नीतियों का आधुनिक संदर्भ में अनुप्रयोग अत्यंत आवश्यक है। यह शोध पत्र इन्हीं पहलुओं की विवेचना करता है — अम्बेडकर की आर्थिक दृष्टि, कृषि की सामाजिक संरचना में उसका स्थान, भूमि सुधार की आवश्यकता, और आज के संदर्भ में उनकी विचारधारा की प्रासंगिकता।

कृषि संबंधी अम्बेडकर की आर्थिक दृष्टि एवं भूमि सुधार

Year-6 Volume: IV, October-December, 2024 Issue-24 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

प्रायः डॉ. अम्बेडकर को एक समाज सुधारक, विधिवेत्ता और भारतीय संविधान के शिल्पी के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनकी पहचान एक प्रखर अर्थशास्त्री के रूप में भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने अपने समय में भारत की कृषि व्यवस्था की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जटिलताओं को न केवल पहचाना, बल्कि उससे उबरने के ठोस उपाय भी प्रस्तुत किए। विशेषकर कृषि में जुड़े स्टेकहोल्डर्स — जैसे किसान, भूमिहीन मजदूर, राज्य, निजी स्वामी, सहकारी समितियाँ, व श्रमिक वर्ग — के बीच न्यायसंगत संतुलन स्थापित करने की दिशा में उनके विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं।

योजना की मूलधारा में कृषि की अनदेखी का विरोध करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने ब्रिटिश भारत में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और अत्यल्प उत्पादकता को एक गंभीर समस्या के रूप में चिन्हित किया। उन्होंने तर्क दिया कि यदि आर्थिक नियोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय उत्पादकता, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन है, तो कृषि को प्राथमिकता देनी ही होगी। उनके अनुसार:

"In the case of India, the problem of economic planning must start with agriculture."
— B.R. Ambedkar, "States and Minorities", 1947

वे मानते थे कि औद्योगीकरण भी तभी सफल हो सकता है जब कृषि सुदृढ़ हो, क्योंकि:

- कृषि ही कच्चे माल की आपूर्ति करती है
- कृषि ही श्रमिकों का बड़ा आधार है
- कृषि में स्थिरता से आंतरिक मांग बढ़ती है, जिससे उद्योगों को बाज़ार मिलता है

ग्रामीण भारत की रीढ़ भूमि है, और कृषि इसका मूल आधार। यह बात डॉ. अम्बेडकर बहुत स्पष्टता से जानते थे। स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत में भूमि का वितरण अत्यंत असमान और शोषणकारी था। ज़मींदारी प्रथा, जागीरदारी और अन्य परंपरागत भूमिस्वामी संरचनाओं के कारण कृषक वर्ग भूमि से वंचित या अत्यंत सीमित भूमि पर निर्भर था। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इस असमानता को सामाजिक और आर्थिक शोषण का मूल कारण माना और इसे दूर करने के लिए भूमि सुधार और कृषि के पुनर्गठन की वकालत की। उनका मानना था कि जब तक भूमि का वितरण न्यायसंगत नहीं होता, तब तक कोई भी आर्थिक नीति प्रभावी नहीं हो सकती।

डॉ. अम्बेडकर का भूमि सुधार दृष्टिकोण मात्र कानूनी या प्रशासनिक नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का माध्यम था। उनके प्रमुख सुझाव इस प्रकार थे। जिसमें पहला ज़मींदारी प्रथा का उन्मूलन ; उन्होंने ज़मींदारों के अधिकार समाप्त कर कृषकों को वास्तविक भूमि स्वामित्व देने की बात कही। उनका मानना था कि भूमिहीनता सबसे बड़ी आर्थिक और सामाजिक चुनौती है। भूमि का राष्ट्रीयकरण हो इसके लिए भी उनकी चिंता थी। इसका

Year-6 Volume: IV, October-December, 2024 Issue-24 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

अर्थ था कि भूमि का मालिक राज्य होगा, और किसान केवल "उपयोगकर्ता" के रूप में काम करेंगे। इसी के साथ वह समूहिक खेती को भी प्रोत्साहित करने की पैरोकारी की। अम्बेडकर ने छोटे जोतों की अलाभकारीता को समझते हुए सामूहिक खेती को एकमात्र समाधान बताया। क्योंकि इस व्यवस्था में श्रम और संसाधनों का साझा प्रयोग होता।

कृषि का पुनर्गठन और अम्बेडकर की वर्तमान प्रासंगिकता

कृषि के पुनर्गठन की आवश्यकता भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसे डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक-आर्थिक न्याय के संदर्भ में गंभीरता से रेखांकित किया था। अम्बेडकर ने कृषि को केवल उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक समानता और आर्थिक स्वावलंबन का मूल आधार माना। उन्होंने कृषि की दयनीय स्थिति को सुधारने हेतु भूमि सुधार के साथ-साथ वैज्ञानिक एवं यांत्रिक खेती, सिंचाई व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, कृषि ऋण के संस्थागतकरण, ग्रामीण श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, और सहकारी खेती जैसे सामूहिक मॉडल की वकालत की (Ambedkar, States and Minorities, 1947)। उनका मत था कि बिखरी हुई और अलाभकारी जोतों को सामूहिक कर आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर उत्पादक बनाना न केवल आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है, बल्कि इससे किसानों का जीवनस्तर भी सुधर सकता है (Rodrigues, 2002)। कृषि को पुनर्गठित करने के लिए उन्होंने ग्रामीण कर्ज मुक्ति, कृषकों के लिए बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी संरचनात्मक नीतियों को आर्थिक नियोजन में केंद्रीय स्थान देने की बात कही, जो आज की योजनाओं—जैसे PM-KISAN, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), और FPOs (Farmers' Producer Organizations)—में प्रतिबिंबित होती है (Ministry of Agriculture, GoI, 2023)। संक्षेप में, अम्बेडकर की दृष्टि में कृषि का पुनर्गठन केवल आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत में न्याय, विकास और आत्मसम्मान की स्थापना का अनिवार्य उपाय है। लेकिन चुनौतियाँ भी कुछ कम नहीं हैं एक तरफ कृषि यंत्रीकरण दर वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है । उदाहरण वर्ष 2000 में 20%, 2020 में 45% और 2024 में 55 % के करीब पहुँच गया है। इसी के बरक्स भूमिहीन कृषि मजदूरी की स्थिति गौर करने वाली है 2011 में 35%, 2017 में 38% और 2022 के आंकड़ों के अनुसार 41% के आस पास पहुँच गयी है। इन चौंतीयों के समाधान के जमीनी सूत्रों को तलाशने होंगे।

अम्बेडकर की नीतियाँ आज के लिए मार्गदर्शक

डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित भूमि सुधार, सामूहिक खेती, वैज्ञानिक कृषि और कृषकों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी नीतियाँ आज भी भारत की कृषि नीति के लिए अत्यंत प्रासंगिक और मार्गदर्शक हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक States and Minorities (1947) में स्पष्ट किया था कि "राज्य को भूमि का स्वामी होना

Year-6 Volume: IV, October-December, 2024 Issue-24 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

चाहिए और किसानों को सहकारी इकाइयों के माध्यम से भूमि पट्टे पर देनी चाहिए।" यह विचार उस समय अत्यंत क्रांतिकारी था जब भूमि का स्वामित्व सामाजिक प्रतिष्ठा और सत्ता का प्रमुख आधार था। स्वतंत्र भारत में जब भूमि सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो ज़मींदारी उन्मूलन अधिनियम (Zamindari Abolition Acts) जैसे कानून अम्बेडकर की ही दृष्टि से प्रेरित माने गए, यद्यपि उनका कार्यान्वयन सीमित रहा। आज जब सरकारें भूमि की सीलिंग, बटाईदार अधिकार, और भूमिहीनों को पट्टा देने की योजनाएँ चला रही हैं, तो यह अम्बेडकर के भूमि के समतामूलक वितरण के आदर्श को पुनर्जीवित करने जैसा है। उदाहरण के लिए, वन अधिकार अधिनियम 2006 (Forest Rights Act) के तहत आदिवासियों को भूमि अधिकार देना और भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए भूमि पट्टा योजना जैसे प्रयास अम्बेडकर की सोच को साकार करने की दिशा में है (Government of India, Ministry of Tribal Affairs, 2022)।

उनके द्वारा सुझाई गई सामूहिक खेती और सहकारी कृषि मॉडल की अवधारणा आज FPOs (Farmers' Producer Organizations) के रूप में जीवंत हो रही है। FPOs का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को संगठित कर उन्हें उत्पादन, विपणन, मूल्य संवर्धन और लाभ में भागीदारी का अवसर देना है—ठीक उसी तरह जैसा अम्बेडकर ने "सामूहिक खेती" के तहत प्रस्तावित किया था (Rodrigues, 2002)। वर्तमान सरकार द्वारा Agri Infrastructure Fund (2020) और Digital Agriculture Mission जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीक, भंडारण, और बाजार से जोड़ने का जो प्रयास हो रहा है, वह अम्बेडकर की उस दृष्टि का विस्तार है जिसमें उन्होंने कृषि के औद्योगीकरण और यंत्रीकरण की आवश्यकता पर बल दिया था। डॉ. अम्बेडकर ने लिखा था, "An unmechanised agriculture is the greatest drag on economic development" (Ambedkar's Economic Notes, Columbia University Archives), जो आज के कृषि-टेक स्टार्टअप्स, स्मार्ट फार्मिंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे नवाचारों में जीवंत होता दिखता है। इसके अतिरिक्त, किसानों को कृषि बीमा (PMFBY), सीधा नगद हस्तांतरण (PM-KISAN), और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जैसी योजनाओं के माध्यम से जो सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है, वह अम्बेडकर की उस बुनियादी भावना को बल देती है कि "कृषक केवल उत्पादनकर्ता नहीं, बल्कि देश के सामाजिक ढांचे के बराबर भागीदार होने चाहिए।"

दूसरा पहलू यह भी है कि अम्बेडकर की नीतियाँ केवल आर्थिक योजना तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उनका लक्ष्य सामाजिक न्याय के माध्यम से कृषि क्षेत्र में समानता और गरिमा की स्थापना करना था। उन्होंने दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कृषि भूमि, संसाधनों और बाजारों तक समान पहुंच की वकालत की। आज यह अवधारणा SC/ST Sub-Plan, एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) नीति, और लघु व

सीमांत किसानों के लिए विशेष सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से परिलक्षित होती है। उदाहरणस्वरूप, एनएफएसए (National Food Security Act) और मनरेगा (MGNREGA) जैसे कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा, मजदूरी गारंटी और कृषि आधारित आजीविका में अम्बेडकर के समावेशी दृष्टिकोण की छाया हैं (Planning Commission, GoI, 2013)। इसी तरह, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स (Digital India Land Records Modernization Programme) द्वारा भूमि पारदर्शिता और किसानों के स्वामित्व अधिकार को मजबूत करने का कार्य भी उस दिशा में एक कदम है, जिसे अम्बेडकर ने भूमि स्वामित्व में पारदर्शिता और न्याय की बुनियाद पर रखा था।

आज जब भारतीय कृषि गहराते जलवायु संकट, भूमिहीनता, और कृषक आत्महत्याओं जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, तब डॉ. अम्बेडकर के सिद्धांत न केवल मार्गदर्शक बल्कि पुनः परीक्षण योग्य हो जाते हैं। उनकी यह सोच कि "कृषि को केवल उत्पादन नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीविका का स्रोत बनाना चाहिए" (Ambedkar, States and Minorities, 1947), आज की कृषि नीति निर्माण में सबसे अधिक प्रासंगिक है। कृषि में नवाचार, संसाधनों तक न्यायसंगत पहुंच, और छोटे किसानों की भागीदारी—इन सभी पहलुओं को यदि समावेशी दृष्टिकोण से लिया जाए, तो अम्बेडकर के विचार न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे समकालीन भारत की ग्रामीण पुनर्रचना के लिए दिशादर्शक सिद्ध हो सकते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि डॉ. अम्बेडकर की नीतियाँ, जो कभी दूरदर्शी और आदर्शवादी प्रतीत होती थीं, आज की जमीनी हकीकत में सबसे ठोस समाधान देने वाली सिद्ध हो रही हैं।

अंतर्दृष्टि

भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में डॉ. भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा एक दूरदर्शी और समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। अम्बेडकर ने कृषि को केवल आर्थिक उपार्जन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और मानव गरिमा की स्थापना का प्रमुख आधार माना। उन्होंने भूमि सुधार, सामूहिक खेती, यंत्रीकरण, कृषक सुरक्षा और कृषि को राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन के केंद्र में स्थापित करने की जो सैद्धांतिक रूपरेखा प्रस्तुत की थी, वह आज के कृषि संकटों—जैसे भूमि असमानता, सीमांत कृषकों की बदहाली, जलवायु परिवर्तन, और कृषि आत्महत्याओं—के संदर्भ में अत्यंत उपयोगी और समाधानपरक सिद्ध हो रही है।

वर्तमान समय में कृषि से जुड़ी योजनाएँ जैसे PM-KISAN, PMFBY, FPOs, और डिजिटल कृषि मिशन अम्बेडकर की मूल अवधारणाओं के व्यावहारिक विस्तार हैं, किंतु उनका पूर्ण प्रभाव तभी संभव होगा जब इन योजनाओं का सारगर्भित और न्यायसंगत कार्यान्वयन हो। कृषि सुधारों की दिशा में जब तक भूमिहीनों

को जमीन, सीमांत किसानों को संस्थागत सहायता, और ग्रामीण समाज को समावेशी विकास का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक अम्बेडकर के दृष्टिकोण की पूर्ण सार्थकता संभव नहीं है। अतः यह कहा जा सकता है कि डॉ. अम्बेडकर की नीतियाँ न केवल ऐतिहासिक प्रेरणा हैं, बल्कि आज के सामाजिक-आर्थिक नियोजन के लिए भी एक मार्गदर्शक प्रकाशस्तंभ हैं। उनका दृष्टिकोण भारत को एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था की ओर ले जाने की सामर्थ्य रखता है।

संदर्भ सूची

1. Rodrigues, Valerian. *The Essential Writings of B.R. Ambedkar*, Oxford University Press, 2002
2. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India, *Agricultural Census*, 2021
3. Omvedt, Gail. *Ambedkar: Towards an Enlightened India*, Penguin Books, 2004
4. Ministry of Jal Shakti, Government of India, 2023
5. Ambedkar, B. R. (1947). *States and Minorities: What are Their Rights and How to Secure Them in the Constitution of Free India*. Bombay: Thacker & Co.
6. Ambedkar, B. R. (1918). *Small Holdings in India and Their Remedies*. Journal of the Indian Economic Society, 8(1), 32–45.
7. Ambedkar, B. R. (2010). *Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, Vol. 1–17* (Ed. Vasant Moon). Mumbai: Education Department, Government of Maharashtra.
8. Government of India. (2006). *The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006*. Ministry of Tribal Affairs.
9. Government of India. (2020). *Agri Infrastructure Fund*. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. Retrieved from https://agrinfra.dac.gov.in
10. Government of India. (2021). *Digital Agriculture Mission 2021–2025*. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. Retrieved from https://agricoop.nic.in
11. Government of India. (2022). *Annual Report 2021–22*. Ministry of Tribal Affairs. Retrieved from https://tribal.nic.in
12. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). (2023). *Status of Farmers' Producer Organizations (FPOs) in India*. Mumbai: NABARD Publication Division.
13. National Sample Survey Office. (2021). *Household Ownership and Operational Holdings of Land in India, NSS 77th Round*. Ministry of Statistics and Programme Implementation.

The Asian Thinker

Year-6 Volume: IV, October-December, 2024 Issue-24 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

14. Planning Commission. (2013). *Twelfth Five Year Plan (2012–2017): Economic Sectors, Vol. 2*. New Delhi: Government of India.
15. Rodrigues, V. (Ed.). (2002). *The Essential Writings of B.R. Ambedkar*. New Delhi: Oxford University Press.
16. Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.

The Asian Thinker